वित्त निर्देश 30/2017

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्र. 297/एफ 2016–04–03303/वित्त/नियम/चार, नया रायपुर, दिनांक 1 जुलाई, 2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय :– छत्तीसगढ़ कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अन्तर्गत वेतन नियतन संबंधी निर्देश

राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 2016–04–03303/वित्त/नियम/चार, दिनांक 1 जुलाई, 2017 द्वारा अधिसूचित तथा दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू छत्तीसगढ़ कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 में नियत वेतन संरचना के अन्तर्गत वेतन निर्धारण के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :–

1. छत्तीसगढ़ कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के नियम 5 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक सेवा के सदस्य द्वारा उक्त नियम की अनुसूची–दो के रूप में संलग्न प्रारूप में अपना विकल्प प्रस्तुत किया जाएगा। सेवा के सदस्य से विकल्प प्राप्त होने पर कार्यालय प्रमुख (अथवा इस हेतु कार्यालय प्रमुख द्वारा नियुक्त कोई अन्य अधीनस्थ अधिकारी) द्वारा विकल्प के नीचे दिये गये प्रमाण पत्र में विकल्प के कार्यालय में प्राप्त होने की तिथि अंकित करके उस पर प्रतिहस्ताक्षरित किया जावेगा।

2. प्रत्येक कार्यालय प्रमुख अथवा वह प्राधिकारी जिसके द्वारा सेवा के सदस्य की सेवा पुस्तिका संधारित की जा रही है, प्राथमिकता के आधार पर छत्तीसगढ़ कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार संलग्न वेतन नियतन पत्रक (प्रपत्र–एक) में वेतन निर्धारण करेगा।

3. प्रारंभिक वेतन का नियतन छत्तीसगढ़ कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के नियम 6 के प्रावधानों के अनुसार उक्त नियम की अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट वेतन मैट्रिक्स के प्रयोज्य लेवल में निर्धारित कोष्ठिका में किया जायेगा।

4. पुनरीक्षित वेतन संरचना लागू होने के पश्चात् छत्तीसगढ़ कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के नियम 9 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक सेवा के सदस्य हेतु वेतनवृद्धि तिथियां 1 जनवरी अथवा 1 जुलाई होगी।

5. छत्तीसगढ़ कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 में वेतन निर्धारण के पश्चात पदोन्नति के मामलों में वेतन निर्धारण उक्त नियमों के नियम 11 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा। उपरोक्त अवधि में एक लेवल से दूसरे लेवल में स्तरोन्नयन (क्रमोन्नति) के फलस्वरूप वेतन निर्धारण के प्रकरणों में वेतन मैट्रिक्स में स्तरोन्नयन के लेवल में वेतन निर्धारण हेतु वेतन जिस लेवल से सेवा के सदस्य का स्तरोन्नयन होता है उस लेवल में वेतन के विनिर्दिष्ट कोष्ठिका के अगली उच्चतर कोष्ठिका में रखा जाएगा।

उदाहरण :–

1	संशोधित वेतन संरचना में लेवल : लेवल 6	वेतन बैंड	5200-20200				
2	संशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन : 31200	ग्रेड वेतन	1800	1900	2200	2400	2800
3	लेवल 7 में स्तरोन्नयन स्वीकृत	लेबल	3	4	5	6	7
		1	18000	19500	22400	25300	28700
4	उन्नत लेवल अर्थात् लेवल 7 में वेतन : 31400 (लेवल 6 में 31200 के उच्चतर राशि)	2	18500	20100	23100	26100	29600
		3	19100	20700	23800	26900	30500
		4	19700	21300	24500	27700	**31400**
		5	20300	21900	25200	28500	32300
		6	20900	22600	26000	29400	33300
		7	21500	23300	26800	30300	34300
		8	22100	24000	27600	**31200**	35300
		9	22800	24700	28400	32100	36400
		10	23500	25400	29300	33100	37500
		11	24200	26200	30200	34100	38600

एक लेवल से दूसरे लेवल में विभागीय संवर्गीय पदोन्नति/स्तरोन्नयन के प्रकरणों में सेवा के सदस्य को पदोन्नति/स्तरोन्नयन की तिथि अथवा आगामी वेतनवृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण हेतु विकल्प की पात्रता होगी । ऐसा विकल्प प्रपत्र–पांच में पदोन्नति/स्तरोन्नयन के आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

6. छत्तीसगढ़ कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के लागू होने की तिथि तथा इनके प्रकाशन की तिथि के बीच पदोन्नति/स्तरोन्नयन के मामलों में इन नियमों के नियम 5 के अन्तर्गत नियम 4 के परंतुकों के अधीन पुनरीक्षित वेतन संरचना में आने का विकल्प चुनने पर इन नियमों के प्रकाशन के तीन माह के भीतर इन नियमों की अनुसूची–दो में विकल्प देने की पात्रता होगी। निर्धारित अवधि में विकल्प प्राप्त न होने पर यह मानते हुए कि सेवा के सदस्य द्वारा पदोन्नति/स्तरोन्नयन की तिथि से वेतन निर्धारण का विकल्प दिया गया है, उसका वेतन निर्धारण किया जाएगा। एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा। उक्त विकल्प की प्रविष्टि सेवा के सदस्य की सेवा पुस्तिका में भी की जायेगी। संवर्ग से बाहर अथवा बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति होने की स्थिति में यह विकल्प अनुज्ञेय नहीं होगा। तदर्थ पदोन्नति के मामलों में विकल्प की पात्रता नहीं होगी किन्तु तदर्थ पदोन्नति को नियमित किये जाने की स्थिति में नियमितीकरण आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक माह के अन्दर विकल्प देने की अनुमति होगी।

7. सामान्यतः छत्तीसगढ़ कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अन्तर्गत अवशेष देयकों के भुगतान हेतु संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन से जांच का बंधन नहीं रहेगा किन्तु ऐसे मामलों में जहां सेवा का सदस्य इन नियमों के लागू होने की तिथि के पश्चात् किन्तु अवशेष देयक के आहरण के पूर्व पदत्याग, पदच्युति, सेवानिवृत्ति अथवा अनुशासनिक आधार पर सेवोन्मुक्ति होने के कारण सेवा में नहीं रहे हैं उन प्रकरणों में अवशेष दावों का भुगतान संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन द्वारा जांच के उपरान्त ही किया

जायेगा। संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन द्वारा ऐसे प्रकरणों की जांच सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

8. पुनरीक्षित वेतन संरचना के आधार पर आहरित वेतन से सामान्य भविष्य निधि नियम 11(1)(ब) के प्रावधानों के अनुसार परिलब्धियों के 12 प्रतिशत की दर से विभागीय भविष्य निधि अंशदान की कटौती की जावेगी। उक्त नियम के लिए "परिलब्धियों" का आशय पुनरीक्षित वेतन संरचना में मूल वेतन होगा।

9. दिनांक 01/11/2004 के पश्चात् नियुक्त सेवा का सदस्य जो नवीन अंशदायी पेंशन योजना के सदस्य हैं, के मामले में योजना में अंशदान हेतु निर्धारित 10 प्रतिशत की कटौती की गणना पुनरीक्षित वेतन संरचना में मूल वेतन तथा उस पर मंहगाई भत्ता पर की जावेगी।

10. सेवा के प्रत्येक सदस्य का वेतन नियतन पत्रक चार प्रतियों में तैयार किया जायेगा, जिसमें से एक प्रति कार्यालय में संदर्भ हेतु रखी जावेगी तथा दूसरी प्रति अवशेष वेतन देयक के साथ संलग्न की जायेगी। शेष दो प्रतियॉ संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन के वेतन नियतन दल को सेवा पुस्तिका आदि के साथ प्रस्तुत होगी। वेतन नियतन दल यथा आवश्यक एक प्रति रखकर दूसरी प्रति टीका/टिप्पणी सहित प्रस्तुतकर्ता कार्यालय को वापस करेंगे । वेतन नियतन दल द्वारा संबंधित सेवा के सदस्य की सेवा पुस्तिका में भी वेतन नियतन की मुद्रा अंकित की जावेगी जिसमें किये गये वेतन नियतन, आगामी वेतनवृद्धि की तिथि आदि से संबंधित जानकारी अंकित होगी ।

11. प्रत्येक कार्यालय प्रमुख द्वारा संलग्न प्रपत्र–दो के अनुसार संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन को यह प्रमाण भेजा जाये कि उनके कार्यालय में कार्यरत् कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले सेवा के सदस्य का पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन नियतन किया जा चुका है और प्रकरण जांच के लिये तैयार है। प्रमाण पत्र में कर्मचारियों की संख्या की जानकारी जिनका वेतन नियतन किया गया है, दी जायेगी। इसकी एक प्रति विभागाध्यक्ष को भी पृष्ठांकित होगी।

11.(II) कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन के वेतन नियतन दल के आगमन पर दल के समक्ष समस्त प्रकरण आवश्यक अभिलेखों के साथ बगैर किसी विलम्ब के प्रस्तुत किये जायें। राज्य शासन चूंकि इस कार्य को प्राथमिकता से निपटाना चाहती है, अतः संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन के वेतन नियतन दल को पूर्ण सहयोग दिया जावे ताकि उनके द्वारा यह कार्य शीघ्रता से पूर्ण किया जा सके। यदि वेतन नियतन दलों के कार्य में कोई अवरोध उत्पन्न होता है तो उसे गंभीरता से लिया जावेगा। वेतन नियतन दलों के आगमन की सूचना एवं कार्यक्रम की जानकारी संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन के कार्यालय से प्राप्त की जाये।

11.(III)संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन के वेतन नियतन दलों द्वारा जो वेतन नियतन अंतिम किया जावेगा, उसमें से कुछ प्रतिशत प्रकरण जैसा कि महालेखाकार द्वारा विनिश्चत किया जावे, महालेखाकार कार्यालय के आडिट दलों द्वारा परीक्षण किये जा सकेंगे।

12. त्रुटिपूर्ण वेतन नियतन के कारण अधिक भुगतान वसूलनीय होगा। अतः कार्यालय प्रमुख सेवा के सभी सदस्यों को स्पष्ट कर दें कि पुनरीक्षित वेतनमान में नियत वेतन, अंतिम नहीं है और संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन के वेतन नियतन दल द्वारा की गई जांच के प्रकाश में बदलने की संभावना है। अतः यदि कोई अधिक भुगतान होता है तो वह सेवा के सदस्य को पश्चात्‌वर्ती भुगतान की जाने वाली किसी भी राशि से वसूला जावेगा। यदि यह पाया जाता है कि त्रुटिपूर्ण वेतन नियतन, संबंधित सेवा के सदस्य द्वारा दोषपूर्ण जानकारी देने, वांछित तथ्य छुपाने अथवा अन्य अनियमित तरीकों से कराया गया है, तो बकाया राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज भी शासन द्वारा वसूला जायेगा। इस आशय का लिखित वचन पत्र (Undertaking) सेवा के प्रत्येक सदस्य से अवशेष राशि के भुगतान करने के पूर्व प्राप्त होने पर ही अवशेष राशि का भुगतान किया जावे। वचन पत्र (Undertaking) का नमूना <u>प्रपत्र–तीन</u> संलग्न है।

12.(II) यदि त्रुटिपूर्ण वेतन नियतन, कार्यालय प्रमुख/सक्षम अधिकारी की गलती से हुआ है तो अधिक भुगतान संबंधित से वसूला जाकर कार्यालय प्रमुख/सक्षम अधिकारी से भी अधिक भुगतान की गई राशि के 10 प्रतिशत के बराबर राशि दण्ड स्वरूप वसूली जायेगी।

13. सेवा के ऐसे अस्थाई सदस्य जिनका सेवाकाल तीन वर्ष से कम हो, से उपरोक्त कंडिका–12 में उल्लेखित वचन पत्र (Undertaking) के अलावा दो स्थाई शासकीय सेवकों की, जो आगामी एक वर्ष के पूर्व सेवानिवृत्त न हो रहे हों, प्रतिभूति (Surety) प्रपत्र–चार में प्राप्त की जाये। यदि यह संभव न हो तो संबंधित सेवा का सदस्य उन अस्थाई शासकीय सेवकों की प्रतिभूति प्रस्तुत कर सकता है जो अर्द्धस्थाई हों अथवा जिन्होंने लगातार तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हों तथा जिनकी आगामी एक वर्ष तक सेवा में बने रहने की संभावना हो। निर्धारित प्रपत्र में वचन पत्र (Undertaking) एवं प्रतिभूति सेवा पुस्तिका के साथ रखे जायें।

13.(II) प्रत्येक वेतन नियतन प्रकरण की जांच संभागीय संयुक्त संचालक, कोष–लेखा एवं पेंशन के दल से कराया जाना आवश्यक है तथा अनुमोदित वेतन नियतन पत्रक संबंधित सदस्य की सेवा पुस्तिका के साथ चिपकाया जायेगा।

14. प्रत्येक अवशेष वेतन देयक के साथ अन्य सामान्य आवश्यक प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त निम्न प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। इन प्रमाण पत्रों के बगैर कोषालय द्वारा देयक भुगतान हेतु पारित नहीं किये जायेंगे :–

(क) यह प्रमाण पत्र कि सेवा के जिन सदस्यों के स्वत्व अवशेष वेतन देयक में सम्मिलित किये गये हैं, उनके वेतन नियतन प्रकरण निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक सेवा अभिलेख सहित, जो कि जांच के लिये आवश्यक है, जांच हेतु तैयार है तथा इसकी सूचना संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन/विभागाध्यक्ष को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक .... दिनांक .... द्वारा दे दी गई है।

(ख) यह प्रमाण पत्र कि प्रत्येक सेवा के ऐसे सदस्य जिनका स्वत्व इस देयक में सम्मिलित किया गया है, ने निर्धारित प्रारूप में आवश्यक वचन पत्र (Undertaking) प्रस्तुत कर दिया है।

15. यात्रा भत्ता तथा अन्य सुविधायें जो मूल वेतन से जुड़ी हुई थी, पूर्व के वेतन संरचना के आधार पर ही देय होगी। इसी प्रकार अन्य भत्ते जैसे गृह भाड़ा भत्ता, परियोजना भत्ता, अनुसूचित क्षेत्र भत्ता तथा प्रतिनियुक्ति भत्ता वेतन पुनरीक्षण के पहले के वेतन संरचना में लागू दरों पर यथावत भुगतान होंगे।

16. सेवा के सदस्यों को छत्तीसगढ़ कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अंतर्गत नियमित वेतन का भुगतान माह जुलाई, 2017 का वेतन (अगस्त, 2017 को देय) से प्रारंभ किया जाएगा तथा 1 जनवरी 2016 से 30 जून, 2017 तक के बकाया वेतन के भुगतान के संबंध में पृथक से निर्णय लिया जाएगा।

17. प्रदेश में सातवॉ वेतनमान लागू होने के फलस्वरूप सभी विभाग सेवा भर्ती नियमों में संशोधित वेतन संरचना का प्रावधान कराये। भविष्य में की जाने वाली नियुक्तियॉ संशोधित वेतन संरचना के अनुसार की जायें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

01/07/2017

(एस.के. चक्रवर्ती)
संयुक्त सचिव

पृ.क्र. 298/एफ 2016-04-03303/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 1 जुलाई, 2017

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री (समस्त), छत्तीसगढ़, नया रायपुर
7. प्रधान महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर
9. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, नया रायपुर
10. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
11. राज्य सूचना आयुक्त, शास्त्री चौक, रायपुर
12. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, नया रायपुर
13. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
14. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर
15. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
16. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इंद्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
17. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
18. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर

– को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु

19. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in पर अपलोड करने हेतु

Pekka 1/7/2017

(प्रेमा गुलाब एक्का)
अवर सचिव

प्रपत्र –एक

छत्तीसगढ़ कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अन्तर्गत वेतन नियतन पत्रक

1. सेवा के सदस्य का नाम ————————————

2. पदनाम जिस पर वेतन निर्धारण किया जाना है ————————————

3. स्थाई / स्थानापन्न ————————————

4. नियम 6 के अन्तर्गत विकल्प के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन नियतन का दिनांक ————————————

5. विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन ————————————

6. विद्यमान मूल वेतन ————————————

7. विद्यमान परिलब्धियां :–
   (अ) मूल वेतन
   (ब) मूल वेतन पर दिनांक 1.1.2016 से लागू मंहगाई भत्ता ——————
   ——————
   योग (अ + ब)

8. अनुक्रमांक 5 में दर्शित वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के अनुरूपी वेतन मैट्रिक्स और उसमें विनिर्दिष्ट लेवल ————————————

9. अनुक्रमांक 6 में दर्शित मूल वेतन को 2.57 से गुणा करने पर प्राप्त राशि (निकटतम रूपये में पूर्णांकित) ————————————

10. प्रयोज्य लेवल में अनुक्रमांक 9 पर प्राप्त राशि के समान अथवा उससे ठीक उच्चतर कोष्ठिका की राशि ————————————

11. पुनरीक्षित मूल वेतन (अनुक्रमांक 10 के ————————————

अनुरूप)

12. नियम 7(5) एवं 7(7) के अन्तर्गत कनिष्ठ सेवा के सदस्य के सन्दर्भ में की गई वृद्धि के फलस्वरूप वेतन (कनिष्ठ कर्मचारी का नाम एवं वेतन अंकित किया जाए) ----------------------------

13. नियम 7 (8) के संदर्भ में स्थायी वेतन से स्थानापन्न वेतन कम होने पर पुनरीक्षित वेतन (यदि लागू हो) ----------------------------

14. व्यक्तिगत वेतन, यदि कोई हो (नियम 7(4) तथा नियम 7(6) के अंतर्गत) ----------------------------

15. वेतन निर्धारण के उपरान्त पुनरीक्षित परिलब्धियाँ ----------------------------
    (अ) पुनरीक्षित मूल वेतन ------------
    (ब) व्यक्तिगत वेतन, यदि पात्रता हो ------------
    योग (अ + ब) ------------

16. आगामी वेतन वृद्धि की तिथि ----------------------------

17. आगामी वेतन वृद्धि के बाद वेतन

18. अन्य जानकारी ----------------------------

स्थान :–

दिनांक :–

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर

<u>प्रपत्र–दो</u>

दिनांक 1 जनवरी, 2016 से स्वीकृत पुनरीक्षित वेतन संरचना के अन्तर्गत जांच <u>के</u>

<u>लिये वेतन नियतन प्रकरणों की संख्या सूचक जानकारी का पत्रक</u>

कार्यालय का नाम ————————————————————————

प्रमाणित किया जाता है कि इस कार्यालय में निम्न विवरणानुसार सेवा के सदस्यों का दिनांक 1 जनवरी, 2016 से स्वीकृत पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन नियतन किया जाकर उनके वेतन नियतन प्रकरण जांच के लिये तैयार है :

आहरण अधिकारी के पदनाम की सील	कार्यालय में पुनरीक्षित वेतन संरचना में कुल वेतन नियतन प्रकरणों की संख्या	वेतन नियतन प्रकरणों की संख्या जो जांच के लिये तैयार है	अवशेष प्रकरणों की संख्या (2) – (3)	जांच के लिये प्रकरण तैयार न होने के कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

हस्ताक्षर कार्यालय प्रमुख
एवं पद मुद्रा

क्रमांक .... दिनांक ....

प्रतिलिपि :–

1. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन ....
2. विभागाध्यक्ष ....

कार्यालय प्रमुख

प्रपत्र–तीन

वचन पत्र (Undertaking)

मुझे यह ज्ञात है कि दिनांक 1 जनवरी, 2016 से स्वीकृत छत्तीसगढ़ कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के प्रावधानों के अन्तर्गत मेरा जो वेतन नियतन अभी पुनरीक्षित वेतन संरचना में किया गया है वह अनन्तिम (Provisional) है। मैं वचन देता/देती हूँ कि मैं राज्य शासन को वह संपूर्ण राशि जो कि वेतन नियतन में त्रुटि के कारण तथा अन्य कोई भी धनराशि जो कि इस प्रकार वेतन नियतन के कारण मुझे अधिक भुगतान की गई हो, शासन के निर्देशों के अनुरूप निर्धारित राशि वापस करूंगा/करूंगी तथा इस प्रकार की राशि मेरे देय स्वत्वों से जिनमें पेंशन, ग्रेच्युटी की राशि भी सम्मिलित है, काटी जा सकेगी। मैं यह भी वचन देता/देती हूँ कि यदि उक्तानुसार मेरे द्वारा देय राशि को मैं लौटाने में असमर्थ रहता/रहती हूँ तो इस पर देय राशि की वापसी के लिये मैं अपने उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रतिनिधियों ओर समनुदेशितियों को आबद्ध करता/करती हूँ। मैं यह भी सहमति देता/देती हूँ कि मेरे द्वारा देय राशि मुझसे राजस्व की बकाया के रूप में वसूल कर ली जावे ।

साक्षी :–	हस्ताक्षर सेवा का सदस्य ....
हस्ताक्षर :–	पदनाम ....
पता :–	स्थान ....
दिनांक	दिनांक ....

प्रपत्र–चार

प्रतिभूति का प्रारूप

श्री / श्रीमती / सुश्री .... पदनाम .... कार्यालय .... को छत्तीसगढ़ कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन नियतन होने के कारण दिनांक .... से दिनांक .... तक रूपये .... रूपये (शब्दों में) .... की अवशेष राशि (एरियर) का भुगतान किया जा रहा है ।

हम श्री / श्रीमती / सुश्री .... एवं श्री / श्रीमती / सुश्री .... कार्यालय .... की स्थापना के स्थाई कर्मचारी हैं तथा क्रमशः वेतन राशि रूपये ....रूपये (शब्दों में) .... को प्रतिभू होने के लिये यह सहमति प्रदान करते हैं कि यदि श्री / श्रीमती / सुश्री .... जिनको उपरोक्तानुसार एरियर्स का भुगतान होने जा रहा है, उसमे यदि शासन के नियम के अनुरूप अधिक भुगतान होना पाया जाता है, एवं उक्त सेवा के सदस्य अधिक भुगतान की गई राशि को लौटाने में असमर्थ रहता है तो हम उसका भुगतान करेंगे और हम स्वयं को अपने उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रतिनिधियों और समनुदेशतियों को इस प्रकार के भुगतान हेतु आबद्ध करते हैं । हम यह भी सहमति देते हैं कि हमारे द्वारा देय राशि हम दोनों से संयुक्त रूप से या अलग–अलग भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूल कर ली जावे ।

आज दिनांक .... माह .... सन् 2017 को हस्ताक्षरित किया गया ।

1. प्रतिभू के हस्ताक्षर
   नाम व पदनाम ....

2. प्रतिभू के हस्ताक्षर
   नाम व पदनाम ....

साक्षी :–

हस्ताक्षर

1...

नाम ....

पदनाम..

2...

नाम ....

पदनाम ....

प्रतिहस्ताक्षरित

नाम ....

(कार्यालय प्रमुख)

(जो लागू न हो उसे काट दीजिये)

<u>प्रपत्र–पांच</u>

विकल्प का प्रारूप
(पदोन्नति/स्तरोन्नयन पर)

(x) मैं श्री/श्रीमती/सुश्री ....
एतद्द्वारा मेरी पदोन्नति ....
(विभाग/कार्यालय का नाम) के आदेश क्रमांक ....दिनांक
....द्वारा .... के पद पर लेवल में वेतन ....
.... होने के फलस्वरूप

अथवा

(x) मैं श्री/श्रीमती/सुश्री ....
एतद्द्वारा मेरा स्तरोन्नयन ....
............(विभाग/कार्यालय का नाम) के आदेश क्रमांक ....
दिनांक ....द्वारा लेवल ....पर होने के फलस्वरूप

(x) (क) उच्च लेवल पर नियुक्ति की तिथि

(x) (ख) मेरी आगामी वेतनवृद्धि की तिथि
से वेतन निर्धारण का चयन करता/करती हूँ ।

(x जो लागू न हो काट दीजिए)

हस्ताक्षर ------------------------------
नाम ----------------------------------
पदनाम --------------------------------
कार्यालय जिसमें नियोजित है ----------

(केवल कार्यालयीन उपयोग हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री ------------------------------
(नाम) द्वारा प्रस्तुत विकल्प कार्यालय में दिनांक ------------------------ को प्राप्त हुआ ।

हस्ताक्षर -------------------------

पदनाम ---------------------------